तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13-11-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27-11-2024 को पेश हो।
27-11-24	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज, जवाब दावा का अवलोकन किया गया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हमारे मत मे वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्या...
दावा संख...
दायरा...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

दावा संख्या 26/2009

दायरा दिनांक 19.09.2009

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती भावना सिंह(**RAS**)

प्रेमशंकर आ0 बीरबल जाति मीणा निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

–वादी

बनाम

1. रेवडी लाल आ0 सांवलिया जाति मीणा निवासी गुहाटा हाल निवासी ऐरिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. बाबू लाल आ0 नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी गुहाटा हाल निवासी ऐरिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
3. महेन्द्र कुमार आ0 नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी गुहाटा हाल निवासी ऐरिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
4. मु0 कैलाशी बाई पत्नी स्व0 नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी गुहाटा हाल निवासी ऐरिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
5. गुड्डी बाई पुत्री नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी गुहाटा हाल निवासी ऐरिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
6. धोली बाई पुत्री नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी गुहाटा हाल निवासी ऐरिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
7. काली बाई पुत्री नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी गुहाटा हाल निवासी ऐरिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
8. हेमराज आ0 रामा जाति मीणा निवासी गुहाटा हाल निवास कनकपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी, राजस्थान।
9. पृथ्या आ0 रामा जाति मीणा निवासी गुहाटा हाल निवास कनकपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी, राजस्थान।
10. कन्हैया आ0 गेन्दया जाति मीणा निवास कनकपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी, राजस्थान।
11. बीरबल आ0 लाला जाति मीणा निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
12. नाथू लाल आ0 लाल जाति मीणा निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
13. राधेश्याम आ0 लाला जाति मीणा निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
14. तुलस्या आ0 श्री खाना जाति मीणा निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

14/1 देवी लाल आ0 तुलस्या जाति मीणा निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

15. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

वाद बाबत अधिकार घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0
अधिवक्ता:— 1. श्री सुरेश वर्मा (अधिवक्ता वादी)
2. श्री राजेन्द्र जैन (अधिवक्ता प्रतिवादी सं 1 लगायत 7)
2. प्रतिवादी सं 7 लगायत 15 अनुपस्थित

दिनांक:— 27.11.2024

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा संख्या 173 रकबा 2.39है0, खसरा संख्या 174 रकबा 0.92है0, खसरा संख्या 249 रकबा 1.31है0, खसरा संख्या 250 रकबा 0.70है0, खसरा संख्या 740 रकबा 0.14है0, खसरा संख्या 768 रकबा 0.02है0 कुल किता 6 कुल रकबा 5.48है0 वाके ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है इस आराजी में प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार निहित है। वाद विषयक आराजी का बंटवारा हो गया था और बंटवारा होने पर जर्ये नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 06.11.1996 से सह खातेदारान के मध्य बंटवारा होने पर जर्ये नामान्तकरण से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के हिस्से में 72/1 रकबा 6बीघा, खसरा संख्या 124/1 रकबा 2बीघा 17बिस्वा कुल 8बीघा 17बिस्वा कृषि भूमि आई थी जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया गया था और बंटवारानुसार पृथक पृथक खाते अंकित की गई थी। बंटवारा होने व राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा का अमल होने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपने हिससे की कृषिभूमि खसरा संख्या 72/1 रकबा 6बीघा, खसरा संख्या 124/1 रकबा 2बीघा 17बिस्वा कुल 8बीघा 17बिस्वा कृषि भूमि को 1,75,000/—रुपये के प्रतिफल की एवज में वादी को बैचान कर रूबरू गवाहान विक्रय पत्र वादी के पत्र में निष्पादन कर वादी से नकद 1,75,000/—रुपय प्राप्त कर विक्रय पत्र का पंजीयन वादी के पक्ष में दिनांक 01.12.1997 को करवाया गया था जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा रूबरू गवाहान अपने—अपने हस्ताक्षर किये गये थे। विक्रय पत्र दिनांक 01.01.1997 के पश्चात् प्रतिवादी सं 1 लगायत 4 का कब्जा काश्त न होकर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। बन्दोबस्त सन् 1995 से 2015 के दौरान बन्दोबस्त अधिकारियों ने बंटवारा अनुसार अलग—अलग खाते कायम न कर शामिल में खाता बंटवारा के पूर्व अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में बना दिया। इस कारण विक्रय पत्र दिनांक 01.12.1997 के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया गया विक्रय पत्र आज तक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है पक्षकारान मीणा जाति से है जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते है इस प्रतिवादी सं 5 लगायत 7 का कोई हक अधिकार नहीं है और न ही बंटवारा में कोई हक अधिकार प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 को दिया गया अन्त में प्रार्थना की गई कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये सम्मन तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी सं 1 लगायत 7 ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 द्वारा वादी के पक्ष में कोई

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

चानननामा निष्पादित नहीं करवाया चूंकि नन्दकिशोर जी पुत्रिया गुड्डी बाई, धोली बाई व काली बाई भी ततसमय नन्द किशोर जी की मृत्यु के पश्चात् लगातार खातेदार चली आ रही है जिनके द्वारा कोई बेचाननामा निष्पादित नहीं किया। विवादित कृषि भूमि 8बीघा 17बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7 का भी कानूनी अधिकार है अन्त में प्रार्थना की गई कि वादी का वाद खारिज किया जावे।

उभयपक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम की गई और वादी के द्वारा तनकीयात कायम की गई और वादी के द्वारा अपने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 2065 प्रदर्श
मौखिक साक्ष्य में स्वयं गवाह वादी पी0डब्लू 1 का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से वादी एवं प्रतिवादी सं 1 लगायत 4 ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर दिनांक 18.06.2024 को लिखित में हस्ताक्षरशुदा राजीनामा पेश किया जिसको वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को पढकर सुनाया व समझाया गया जो सही होना मानकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा हस्ताक्षर किये जिनको उनके अधिवक्ताओ द्वारा पहचान न्यायालय में की गई साक्ष्य हेतु हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये ततपश्चात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा विधि सम्मत होने से तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया।

हमारे द्वारा उभयपक्षों के अधिवक्ताओं की बहस अन्तिम सुनी गई वादी के अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वाद विषयक आराजी का बंटवारा होने जर्ये नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 06.11.1996 से प्रतिवादी सं 1 लगायत 4 के हिस्से में खसरा संख्या 72/1 रकबा 6बीघा, खसरा संख्या 124/1 रकबा 2बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 8बीघा 17 बिस्वा भूमि आई थी जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में हो गया था उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने वादी से 1,75,000 रुपये प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 01.12.1997 को वादी के पक्ष में करवाया था तब से ही वादी कब्जा चला आ रहा है। विक्रय पत्र का पंजीयन होते ही वादी जो खातेदारी अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को प्राप्त थे वह सभी खातेदारी अधिकार पंजीयन दिनांक से वादी के पक्ष में कानूनी रूप से अन्तरिम हो गये और विक्रय पत्र दिनांक से वादी खातेदार कृषक बन चुका है। विक्रय पत्र दिनांक 01.12.1997 के बाद कोई खातेदार अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के शेष नहीं रहे केवल जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का नाम इन्द्राज है जो स्वामित्व का निश्चात्मक सबूत नहीं होता है। अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होकर पुरानी हिन्दू विधि लागू होती है इस कारण प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 का कोई हित कानूनी रूप से निहित नहीं होता है बन्दोबस्त विभाग को रिकॉर्ड फरबदल करने का कोई अधिकार नहीं है उन्होने अपने तर्को के समर्थन में पूर्व न्यायिक दृष्टान्त आ0एल0डब्लू0 2015(1) पेज संख्या 368, आर0डी0डी0 2006 पेज संख्या 577, डी0एन0जे0 2019एस0सी0 पेज संख्या 131, आर0डी0डी0 2008 एच0सी0 पेज संख्या 336 प्रस्तुत किये गये अन्त में प्रार्थना की गई कि

पीठासीन अधिकारी
नाहेरी (बून्दी)

वादी का वाद राजीनामा अनुसार डिक्री किया जावे। प्रतिवादी सं 1 लगायत 7 के अधिवक्ता द्वारा वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमारे द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकर किया वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रदत्त दृष्टान्त का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया हमारे द्वारा तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जा रहा है।

तनकी सं 1– इस तनकी को साबित करने का भार वाद पर था इस तनकी प्रदर्श–6 की रोशनी में जमाबंदी सम्वत् 2046 से 2049 तक का अवलोकन किया तो नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 06.11.1996 के आधार पर बंटवारा का अमल राजस्व रिकॉर्ड होना स्पष्ट है इस प्रकार यह तनकी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं 2 – इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है इस तनकी बाबत वादी एवं प्रतिवादी सं 1 लगायत 4 के मध्य राजीनामा होकर तस्दीक किया जा चुका है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श 4 के अनुसार होने से विधिसम्मत होना पाया जाता है इस कारण यह तनकी राजीनामा के आधार पर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं 3 – यह तनकी भी राजीनामा के आधार पर वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं 4 – इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है इस तनकी की रोशनी में पत्रावली का अवलोन किया गया पक्षकारान मीणा जाति से है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मीणा जाति पर लागू न होकर पुराना हिन्दु कानून लागू होता है जिसके तहत पिता के पुत्र जिवित रहते हुए पुत्री का कोई उत्तराधिकार के रूप अधिकार नहीं बनता है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 नन्दकिशोर की पुत्रिया होने से नन्द किशोर की कृषि भूमि में उनका कोई हक अधिकार नहीं रहता है और वाद विषयक आराजी का हिस्सा 1/4 जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के खाते में दर्ज है उसका विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा वादी को दिनांक 01.12.1997 को ही किया जा चुका है और विक्रय पत्र का पंजीयन करवा दिया है इस लिए भी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है और वादी रजिस्टर्ड विक्रय के आधार पर खातेदार कृषक बन चुका है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं 5 – यह तनकी राजीनामा अनुसार स्वीकार है।

तनकी सं 6 – यह तनकी राजीनामा अनुसार स्वीकार है।

तनकी सं 7 व 8 – इन तनकीयो को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है लेकिन इन तनकीयों बाबत् कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया इस कारण यह तनकीया वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपरोक्त तनकीवार विवेचन करने पर व राजीनामा के आधार पर वादी का वाद प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य कोई विवाद नहीं होने तथा प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 का कोई हक अधिकार नहीं होने से वादी का वाद राजीनामानुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा संख्या 173 रकबा 2.39है0, खसरा संख्या 174 रकबा 0.92है0, खसरा संख्या 249 रकबा 1.31है0, खसरा संख्या 250 रकबा 0.70है0, खसरा संख्या 740 रकबा 0.14है0, खसरा संख्या 768 रकबा 0.02है0 कुल किता 6 कुल रकबा 5.48है0 वाके ग्राम गुहाटा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का नामा विलोपित किया जाकर वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजीनाम डिक्री का भाग रहेगा। रहन संबंधी इन्द्राज एवं शेष इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.. मुकाम.............लाखेरी............................
व इजलास........श्रीमती भावना सिंह(आर0ए0एस)...

प्रेमशंकर आ0 बीरबल जाति मीणा बनाम
निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़
जिला बून्दी, राज0।
—वादी

1. रेवडी लाल आ0 सांवलिया जाति मीणा
निवासी गुहाटा हाल निवासी ऐरिया
तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
—प्रतिवादीगण

दावा बाबत 88,89 आर0टी0एक्ट व 136 एल0आर0एक्ट

मुकदमा नम्बर 26/दावा/2009 सन् ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे...........व हाजिरी .....वादी अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार वर्मा ...... मिनजानिब मुद्दई रूबरू... अधिवक्ता प्रतिवादी सं 1 लगायत 7 श्री राजेन्द्र जैन .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि —

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा संख्या 173 रकबा 2.39है0, खसरा संख्या 174 रकबा 0.92है0, खसरा संख्या 249 रकबा 1.31है0, खसरा संख्या 250 रकबा 0.70है0, खसरा संख्या 740 रकबा 0.14है0, खसरा संख्या 768 रकबा 0.02है0 कुल किता 6 कुल रकबा 5.48है0 वाके ग्राम गुहाटा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का नामा विलोपित किया जाकर वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजीनाम डिक्री का भाग रहेगा। रहन संबंधी इन्द्राज एवं शेष इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेगे।

निज.......................................मुबलिग...बाबत..खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 11 सन् 2024 को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

2. बाबू लाल आ0 नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी गुहाटा हाल निवासी ऐरिया तहसील इन्द्र...
राजस्थान।
3. महेन्द्र कुमार आ0 नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी गुहाटा हाल निवासी ऐरिया तहसील इन्द्रगढ़ ...
राजस्थान।
4. मु0 कैलाशी बाई पत्नी स्व0 नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी गुहाटा हाल निवासी ऐरिया तहसील इ...
जिला बून्दी, राजस्थान।
5. गुड्डी बाई पुत्री नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी गुहाटा हाल निवासी ऐरिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी,
राजस्थान।
6. धोली बाई पुत्री नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी गुहाटा हाल निवासी ऐरिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी,
राजस्थान।
7. काली बाई पुत्री नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी गुहाटा हाल निवासी ऐरिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी,
राजस्थान।
8. हेमराज आ0 रामा जाति मीणा निवासी गुहाटा हाल निवास कनकपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी,
राजस्थान।
9. पृथ्या आ0 रामा जाति मीणा निवासी गुहाटा हाल निवास कनकपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी,
10. कन्हैया आ0 गेन्दया जाति मीणा निवास कनकपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी, राजस्थान।
11. बीरबल आ0 लाला जाति मीणा निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
12. नाथू लाल आ0 लाल जाति मीणा निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
13. राधेश्याम आ0 लाला जाति मीणा निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
14. तुलस्या आ0 श्री खाना जाति मीणा निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
14/1 देवी लाल आ0 तुलस्या जाति मीणा निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
15. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)